

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/4377


दिनांक: 18-3-2020

आदेश

निर्देशानुसार नगर निगम कोटा, अजमेर, भरतपुर एवं नगर परिषद अलवर से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में लम्बित प्रकरणों की पैरवी एवं प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। इनको नियमानुसार विभागीय आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार प्रति प्रकरण पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा:-

क्र.सं	एडवोकेट का नाम	रजिस्ट्रेशन नं.
1.	श्री नवीन वर्मा	आर/3312/2007
2.	श्री ईशान कुमावत	आर/430/2015

उक्त आदेश पद रिक्त होने पर ही लागू होगा।


  
(उज्ज्वल राठौड़)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/4378-4393

दिनांक: 18-3-2020

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग कोटा, अजमेर, भरतपुर एवं जयपुर।
05. महापौर/आयुक्त, नगर निगम कोटा, अजमेर, भरतपुर एवं नगर परिषद अलवर।
06. श्री ..... एडवोकेट।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

  
(संजय माथुर)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी